

रा.आ.बैंक (नदि)/आरओडी/ एचएफसी/ पुनर्वित्त परिपत्र-01/2023-24
27 जुलाई, 2023

सभी पात्र आवास वित्त संस्थाएं

महोदया/महोदय,

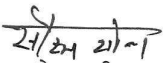
पुनर्वित्त परिपत्र संख्या 01/2023-24 - प्रतिकूल शेष प्रमाण पत्र का समयोचित प्रस्तुतीकरण

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, रा.आ.बैंक के पास बकाया पुनर्वित्त वाली आ.वि.कंपनियों को प्रतिकूल शेष से संबंधित त्रैमासिक प्रमाणपत्र (रा.आ.बैंक- एचएफसी-10) और प्रतिकूल शेष से संबंधित अर्धवार्षिक प्रमाणपत्र (रा.आ.बैंक- एचएफसी.-05) प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि रा.आ.बैंक को सुरक्षा के रूप में चिह्नित ऋणों का कुल बकाया स्वीकृत शर्तों के अनुरूप है। किसी भी प्रतिकूल शेष होने पर, प्रतिकूल शेष राशि को संबंधित आ.वि.कंपनी द्वारा बैंक को चुकाई जाएगी। इन प्रमाणपत्रों के प्रारूप हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

1. एचएफसी -10 को रिपोर्टिंग तिमाही के पंद्रह कैलेंडर दिनों के भीतर जमा करना होगा और यदि कोई प्रतिकूल शेष राशि हो तो उसे रिपोर्टिंग तिमाही के अगले महीने के अंत तक जमा करना होगा।
2. एचएफसी-05 को रिपोर्टिंग छमाही के साठ कैलेंडर दिनों के भीतर जमा करना होगा और यदि कोई प्रतिकूल शेष राशि हो तो उसे रिपोर्टिंग छमाही के अगले दो महीनों के अंत तक जमा करना होगा। इसे आवास वित्त कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इसमें यूडीआईएन नंबर का उल्लेख भी किया जाना चाहिए।
3. आवास वित्त कंपनियों को यह सलाह दी जाती है कि वे इन रिटर्न को समय पर जमा करें और निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

भवदीय,


(सौरव सील)

महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन विभाग